10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0 प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक– र।निगरानी।छतरपुर।भू.रा।2017।3219 सन्–2017

खेमचन्द्र अहिरवार तनय कुन्जा अहिरवार निवासी ग्राम बगमऊ

तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 — निगरानीकर्ता

बनाम

श्यामलाल तनय मगोला अहिरवार निवासी ग्राम बगमऊ

तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 — गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण कमांक– 0036/विविध अन्य/2017 में पारित आदेश दिनांक– 30/06/2017 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू0रा0सं0 की धारा– 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत।

08.9.17

सेवा में श्रीमान्

निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित विनय प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि भूमि खसरा कमांक– 1234, 1238, 1239रकवा कमशः– 0.713, 0.425, 0.725हे0 कुल एकत्र रकवा 1.888हे0 स्थित मौजा कटहरा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि आवेदक/निगरानीकर्ता के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी। किन्तु आवेदक/निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख से राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण प्रथक हो गया थी जिसका रिकार्ड सुधार कराने हेतु आवेदक/ निगरानीकर्ता नें नायब तहसीलदार महोदय बछौन के न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण कमांक–154/अ–6–अ/2009–10 के तहत दिनांक–30/12/10 को नायब तहसीलदार महो0 बछौन द्वारा आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया था। किन्तु हल्का पटवारी एवं कम्प्यूटर शाखा के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निग0/छतरपुर/भू.रा./3219/2017

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.09.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2001–02 में उन्हें आलोच्य भूमि का पट्टा दिया गया था, किन्तु राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज न होने के कारण उन्होंने तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर से तहसीलदार द्वारा जांचोपरांत दिनांक 31.12.10 को आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। अनावेदक की शिकायत पर विवादित भूमि पर शासन का नाम दर्ज किये जाने के आदेश देने में त्रुटि की गई है। आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आलोच्य भूमि पर म.प्र. शासन का नाम दर्ज किया जा चुका है। यदि आवेदक को 2001 में भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था तो उनके द्वारा वर्ष 2001 से 2010 तक नाम दर्ज कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस संबंध में वे कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण नहीं बता सके। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर शासन का नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रकरण को समाप्त करने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	